

238  
23

2023/722

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 / 46.

दिनांक:-10/05/2023

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लाइकपेट पिता केसरसिंह नि. बिलोरा प.ह. सेमलिया के राजस्व ग्राम बिलोरा में जमाबन्दी संवत् 2078 की खाता संख्या 110,111 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जमति/नाम लाइकपेट किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जमति/नाम लाइकपेट का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की रिश्ति में राज. काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

21/722  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-सेंडर/20 / 46

दिनांक -10/05/2023

निमित्त,

पटवार हत्का सेमलिया

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वांछित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136 प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री लाइकपेट पिता केसरसिंह राजस्व ग्राम बिलोरा प.ह. सेमलिया की खाता संख्या 110,111 में जमति/नाम लाइकपेट दर्ज है। जिससे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जमा व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जमति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लाइकपेट पिता केसरसिंह जमति/नाम लाइकपेट एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. सेमलिया राजस्व रिकार्ड उपरोक्तानुसार अगल की जाति पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ